श्री सुख राम : हो सकता है, मैडम, बहुत बड़ा नेटवर्क है सारे देश में, एशिया में सबसे बड़ा है और यह हो सकता है कि कहीं-कहीं शिकायतें हो और माननीय सदस्य की भी शिकायत अगर वाजिब होगी तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैकेनिक नहीं है और इस वजह से यह ठीक तरह से नहीं चलती, तो मैकेनिक आपको देंगे ताकि जो एसटीडी की सुविधा आपको दी गई है, उसका फायदा आपको पहुंचे।

SHRI P. UPENDRA: Madam, from the statement it appears that there is no ratio between the population and the number of PCOs sanctioned. One reason that I find for less number of PCOs is the condition that the operators should have a meter. The meter costs Rs. 16,000 to Rs. 20,000. When the matter was raised earlier in this House, the then Minister promised that the banks would be asked to give them loan to purchase the meter because most of the people are handicapped or educated unemployed people. But it appears that it didn't work. Will the Minister consider prevailling upon the Finance Minister so that loans are given to these categories of people for the purchase of meters? It will be helpful to the operators as well as to the public because they will not be able to charge more.

SHRI SUKH RAM: Madam, this is part of our policy. According to our policy we want to give pay-phones to unemployed educated youths and poor unemployed educated youths. Keeping this fact in mind I have reduced the security amount from Rs. 9600 to Rs. 5000. They need not pay that amount. This amount can be deducted from the commission which they will charge. So, they have nothing to pay from their own pockets. We have also made it compulsory that the persons concerned should have call meters or charge indicators. It costs between Rs. 5,000 and Rs. 25,000. We have made it clear in our policy that the concerned officer of the Department has to issue a certificate and on the basis of that certificate the person concerned will approach financial institutions for getting loan. It will be the duty of an officer of my Department to help that unemployed youth in getting loan. Madam, I have separately taken up this matter with all the State Governments. Since we are solving the unemployment problem of all the States, all the State Governments and local bodies should cooperate in giving sites for construction of telephone booths. Either they give us constructed booths on lease or rental basis or let the allottees construct booths because in big cities, like Bombay, poor persons cannot afford to pay *Pagadi* and all that. Therefore, I have taken up this matter with all the State Governments. I hope that they will all help us because we are helping them in solving the unemployment problem. As far as the financial problem is concerned, there will be no difficulty. Even a poor person will be able to get loan.

382. [*Transferred to 25th August, 1993*]

Growth of Small Scale Industries

@*383. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:†

SHRI SHIVCHARAN SINGH:

Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the empty coffers of the State Financial Corporations (SFCs) have stalled the growth of Small Scale Industries (SSIs) in the country;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that of nearly 9,000 Small Scale Industry Units slated to have gone into production with financial aid from the State Financial Corporations by May end, barely 260 have gone on stream mainly because the concerned State Financial Corporations have not been releasing the loan instalments as per schedule; and

(d) if so, what steps Government have taken to protect the survival of such units?

@ Previously starred Question 223, transferred from 12th August, 1993.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Narain Prasad Gupta.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अबरार अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। राज्य वित्त निगमों ने वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 1700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जबकि इसकी तुलना में 1991-92 के दौरान 1500 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया था। इस प्रकार इसमें 13% की वृद्धि हुई। सिडबी ने अप्रैल-जुलाई 1993 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को 239 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सीमा भी प्रदान की। इसके अलावा, राज्य वित्त निगमों को अगस्त 1993 के दौरान प्रथम किस्त के रूप में 205 करोड़ रुपए के एस एल आर बाण्ड जुटाने की अनुमति दी गई ताकि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

(ग) लघु उद्योग एककों की संख्या, जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्य वित्त निगमों द्वारा सहायता प्रदान की गयी, इस प्रकार है :

वर्ष	एककों की संख्या
1989-90	40124
1990-91	45092
1991-92	37961

लघु उद्योगों और अन्य औद्योगिक परियोजनों को मंजूर सावधि ऋणों के जारी किए जाने को अन्य बातों के साथ-साथ प्रवर्तकों द्वारा दिए जाने वाले अनुमानित अंशदान के साथ-साथ परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति से जोड़ा गया है। राज्य वित्त निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे सभी एककों को ऋणों का संवितरण करें जिन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा किया हो।

(घ) राज्य वित्त निगमों का कार्य-निष्पादन, विशेष रूप से लघु उद्योग एककों के वित्तपोषण की, आई.डी.बी.आई. और सिडबी द्वारा निगरानी की जाती है। राज्य वित्त निगमों के परिचालनों की उनके निदेशक मंडलों द्वारा सावधिक पुनरीक्षा की जाती है। आई.डी.बी.आई. और सिडबी राज्य वित्त निगमों के साथ वार्षिक कारबार संबंधी योजना और संसाधनों के पूर्वानुमान पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा, आई.डी.बी.आई. के अधिकारियों का एक दल प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त निगमों का दौरा करता है और की गई सिफारिशों/सुझावों पर सभी संबंधितों द्वारा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनके परिचालनों की संवीक्षा करता है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : उपसभापति महोदया, वित्त मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि – "क्या यह सच है कि राज्य वित्त निगमों की खाली तिजोरियों के कारण देश में लघु उद्योगों का विकास रुक गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?" यद्यपि माननीय मंत्री जी के जवाब से मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने जवाब दिया है कि--ऐसा नहीं है अर्थात खाली तिजोरियां नहीं हैं। लघु उद्योगों के विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, प्रदेश की सरकारें और केन्द्र का वित्त विभाग यह आवश्यक पैसा अवश्य जुटा देता है। इसका मतलब तो इतना है। लेकिन मंत्री महोदय से अब में पूछना चाहता हूं कि मार्च, 93 तक मध्य

प्रदेश में कितनी लघु उद्योग इकाईयां रजिस्टर्ड हुई हैं? उनमें से कितनी एप्रूव हुई और उनमें से कितने को फाइनेंस किया गया? धन के अभाव में कितनी इकाईयां शुरू नहीं हो पाई और कितनी इकाईयां जो अपने विस्तार के लिए पैसा चाहती थी, उनको पैसा नहीं दिया गया? यह मेरा पहला सप्लीमेंट है।

डा. अबरार अहमद: महोदया, माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में जो सवाल पूछा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अब तक मध्य प्रदेश के अंदर कुल 6071 इकाइयों को पैसा सैंक्शन किया गया है और कुल मिलाकर 497.19 करोड रुपया सैंक्शन किया है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में जो जानना चाहा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि एस.एफ.सी. द्वारा लघु इकाइयों को जो सहायता दी गई है, वह इस प्रकार है -- 1989-90 में 40124 इकाइयों के लिए 1264 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया जिसमें से 927 करोड़ रुपया डिस्बर्स किया गया। इसी प्रकार 1990-91 में 45092 इकाईयों के लिए 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, जिसमें से 999 करोड़ रुपया डिस्बर्स किया गया। इसी प्रकार 1991-92 में 37961 इकाइयों के लिए 1710 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, जिसमें से 1308 करोड़ रुपया डिस्बर्स किया गया।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि प्रदेश की इकाइयों ने जितने पैसे की मांग की है वित्त विभाग से या केन्द्र से, उतना पैसा केन्द्र की ओर से उनको दिया जा रहा है अथवा नहीं और पैसे के अभाव में कितनी इकाइयां जो एप्रूव हो गई थी, शुरू नहीं हो पाई हैं? कृपा करके इसका जवाब दें।

डा. अबरार अहमद: महोदया, जो भी इकाई के लिए पैसा मांगा जाता है, उसका स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन द्वारा अपना अप्रेजल किया जाता है और जो उस अप्रेजल के अंदर उपयुक्त इकाई होती है, उसको उन मापदंडों के अनुसार पैसा दिया जाता है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: प्रश्न यह पूछा गया है कि कितनी इकाइयां पैसे के अभाव में शुरू नहीं हो पाई हैं? कृपा करके इसका उत्तर दें।

उपसभापति: आपके पास कोई जानकारी है?

डा. अबरार अहमद: महोदया, राज्यवार इस प्रकार का ब्योरा मेरे पास नहीं है क्योंकि क्वश्चिन किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है, पूरे देश से संबंधित है। फिर भी पूरे देश के बारे में मैं कुछ जानकारी माननीय सदस्य को दे सकता हूं जिससे उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिल जाएगा। एस.एफ.सी. द्वारा जो कुल सहायता दी गई है, इसमें एस०एस० आई० और नॉन-एस०एस०आई० दोनों हैं, 1990-91 में कुल 1530 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, 1143 करोड़ रुपया डिस्बर्स हुआ और लघु क्षेत्र के लिए इसमें से 1264 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और 927 करोड़ रुपया डिस्बर्स हुआ। इसी प्रकार 1991-92 में कुल 1907 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ जिसमें से लघु क्षेत्र का हिस्सा 1500 करोड़ रुपए था। इसी तरह 1992-93 में कुल 2252 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, जिसमें से लघु क्षेत्र का हिस्सा 1710 करोड़ रुपए था। इस तरह से अगर

एस०एस०आई० और नॉन-एस०एस०आई० को देखें तो संख्या के हिसाब से 88 परसेंट एस०एस०आई० सैक्टर को दिया गया है और एमाऊंट के हिसाब से देखें तो 75 परसेंट एस०एस०आई० को दिया गया है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : मैडम, मैं आधा मिनट लेना चाहूंगा। मुझे आंकड़े नहीं दिए गए हैं। क्या मुझे वह आंकड़े दिए जाएंगे कि कितनी इकाइयां अर्थ के अभाव में शुरू नहीं हो पाई हैं?

उपसभापति : आपका सवाल जो है, वह जनरल सवाल है। आप ये एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि हर स्टेट के बारे में बताएं कि कितनी इकाइयां शुरू हुई हैं। यह असंभव है प्रश्नकाल में। आप अपना सवाल मध्य प्रदेश के बारे में टेबल, करिए, मंत्री जी से मैं आपको जरूर जवाब दिलवाऊंगी।

श्री शिवचरण सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 1989-90 में 40124, 1990-91 में 45092 और 1991-92 में 37961 एस०एस०आई० यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन और फाइनेंस के बारे में बताया है। क्या यह सत्य है कि इन सारी यूनिट्स में से 60 परसेंट यूनिट्स पैसे के अभाव में और लाइसेंस, परमिट के अभाव और ब्लैक मार्केटिंग के कारण बंद हो गई हैं?

डा. अबरार अहमद : महोदया, माननीय सदस्य ने एस.एस.आई. में जो इकाइयां है और स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन द्वारा उन्हें जो मदद दी गई है, उनमें से कुछ इकाइयों के बंद होने के बारे में जानना चाहा है।

कितनी इकाइयां उनमें से बंद हैं और कितनी चालू हैं, इसकी सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है.... (**व्यवधान**)

श्री शिवचरण सिंह : 60 परसेंट बंद हैं। यह मेरे आंकड़े हैं... (**व्यवधान**)

डा. अबरार अहमद : आपके अपने आंकड़े हो सकते हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस बारे में अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है... (**व्यवधान**)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदया, मंत्री जी देश भर के आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं..... (**व्यवधान**)

श्री शिवचरण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे हिंदुस्तान के एस० एफ० सीज़ के एम० डीज़ की पांच आदमियों की कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिली है कि नहीं और क्या उन्होंने यह प्रार्थना की है कि ऐसे दीजिए नहीं तो सारी यूनिट्स बंद हो जाएगी। क्या फाइनेंस मंत्री जी इस बात को कहेंगे कि उनसे वे लोग मिले हैं फाइनेंस के बारे में कि आई०डी०बी०आई० से रिफाइनेंस कराएं?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, I think the hon. Member should know that money does not grow on trees. The amounts of both the sanctions and disbursements are growing. But it is impossible for me to promise in this House that we can meet all the demands that are made. The resources are scarce. Only those proposals which are consistent with the appraisal norms and the availability of resources can be met.

श्री शिवचरण सिंह : एस०एफ०सी० के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं कि नहीं... (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, इस देश में जब से उदारीकरण की नीति का आरंभ हुआ है, मैं समझता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री सैक्टर पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। वह यह है कि

उदारीकरण आपने विदेशों के लिए तो किया है, बड़े उद्योगों के लिए किया है लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए उदारीकरण करने के बजाय उनकी गर्दन में रस्सी और भी मजबूती से बांध दी है। मैं एस०एफ०सीज के बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिनसे यह साबित होगा कि स्माल स्केल इंडस्ट्री के किसी छोटे उद्योगपति को रुपया कर्ज में लेने के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने जो कानून बनाए, आपने जो नियम बनाए, उनके मुताबिक अगर कोई उद्योगपति उनके पास जाता है...(**व्यवधान**)

उपसभापति: आप सवाल पूछिए। उन्होंने क्या किया है, वह खुद बताएंगे।

श्री रामदास अग्रवाल: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री के लोग जब आपके पास जाते हैं, उस समय उनके द्वारा दिए गए प्रपोजल्य पर कोलेटरल सिक्योरिटी आप कितनी मांगते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ जब आप लोन देने की बात करते हैं उस समय उनके पास 100 परसेंट सिक्योरिटी हो, यह आप उनसे आग्रह करते हैं और बैंक उनको लोन तब देते हैं जब..(**व्यवधान**)

उपसभापति: आपका सवाल हो गया।

श्री रामदास अग्रवाल: मेरा प्रश्न है मंत्री जी से कि यह जो कोलेटरल सिक्योरिटी और उसके बाद जो दूसरी सिक्योरिटी मंगी जाती है, उसके कारण उद्योगों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह बताने की कृपा करें।

डा० अबरार अहमद: महोदया, माननीय सदस्य ने खास तौर से जो एस०एफ०सी० को प्रपोजल भेजे जाते हैं, उनको पैसा किन्हीं कारणों से नहीं मिलने के बारे में जिक्र किया है...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: May I ask the Members to please keep quiet in the Question Hour so that I can hear what is being said? If you want to talk, you can go to the lobby, I will be very happy. Let me hear what he is saying.

डा० अबरार अहमद: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा और मैंने पूर्व में भी अभी जिक्र किया कि एस०एफ०सी० के पास जो भी प्रस्ताव आता है, वहां उसका अप्रेजल किया जाता है। जो वायेबल होता है, उसको पैसा दिया जाता है। माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है कि किन्हीं कारणों से पैसा नहीं दिया जाता, में माननीय सदस्य को एस०एफ०सी० की रिकवरी की पोजीशन बताना चाहूंगा, उससे पता चल जाएगा कि जिन इकाइयों को पैसा दिया जाता है, उसमें से कितना पैसा लौटता है। अगर पैसा देने के बाद पैसा वापस न लौटे तो इसका साइकल चलना मुश्किल है।

फरवरी 1987 तक पैसा वापस लेने में जो असफलता हासिल हुई वह 35 परसेंट है। फरवरी, 1991 तक 31 परसेंट और फरवरी 1992 तक 32 परसेंट है। वसूली की जो स्थिति है, 40 से 50 प्रतिशत वसूली दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान से है।

श्री रामदास अग्रवाल: गलत लोगों को दिया है, इसलिए वसूल नहीं होता।

डा० अबरार अहमद: सिर्फ पैसा देने का काम नहीं है, पैसा वापस लेने का भी काम है...(**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल: आपने जो बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया है, क्या आप उनसे वसूल कर पाए हैं...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Agarwal, I am not permitting you..... (*Interruptions*) I am not permitting this kind of behaviour in the Question Hour.

डा० अबरार अहमद : महोदया, इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े उद्योगों के अंदर अगर पैसा फंसा हुआ है तो छोटे उद्योगों के अंदर एस०एफ०सी० के पैसे को वसूल न किया जाए... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you people are going to interrupt, I will move on to another question. This is not the way to put questions.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, यह जो लोन दिया जाता है, इसमें सबसे बड़ी प्राबलम यह है कि उनको टाइमली नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि जो पावर्टी जोन है उनमें काम नहीं हो पाता है, वहां साफिशियंट लोग नहीं जाते, डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पाता। इन दो बिन्दुओं पर सरकार जांच कराएगा कि कैसे इनको जल्दी किया जाए?

डा० अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं की ओर प्रकाश डाला है, वास्तव में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। उसके लिए समय समय पर सरकार इस प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करती है और स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशंस की भी उपाय सुझाती है। हमने भी कई सुझाव उनको दिए। इसके लिए एक पी०आर० नायक कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थी उनके अनुसार हमने उनको सुझाव दिया है...

श्री चतुरानन मिश्र : जो आप किए है वह आप बता रहे हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं वह तो बताइए। पहले जो किया उसका नतीजा अच्छा नहीं है यह आप मानते हैं, आप आगे क्या करने जा रहे हैं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: About future plans.

डा० अबरार अहमद : सरकार कभी भी यह नहीं चहता है कि कुछ तकनीकी कारणों से प्रपोजल्स में देरी हो। इसलिए उनको कम करने के लिए प्रयास कर रहा है...

श्री चतुरानन मिश्र : आप तो बगैर चार्ज लगाए हुए चार्ज मान रहे है अपने पर जैसा कहा जाता है गिल्टी माइंट इज़ आलवेज़ सास्पेशंस। हम चाहते हैं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं जिससे समय पर कर्जा मिले और जो पावर्टी जोन है उसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन हो। उसमें आप क्या करने जा रहे है यह बताइए?

डा० अबरार अहमद : महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि आगे क्या करने जा रहे है, इसके बारे में मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि सरकार की मंशा जो भी तकनीकी कारणों से देर होती है उनको कम करने का है ताकि समय पर पैसा मिले। इस संदर्भ में स्टेट फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने कहा कि उनकी जो प्रशासनिक अधिकार है और जो भी गाइड लाइंस है, वह सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में आती है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि आई० डी० बी०आई० के माध्यम से पैसा निर्धारित किया जाता है, इसलिए उनके माध्यम से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते है वह समय समय पर दिए जाते हैं। जो भी उनकी रिकमंडेशंस आता है उनकी हमने सुझाया भी है और उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam Deputy Chairperson, I quote from the answer. It is stated here, "The release of term loans sanctioned to small-scale industries and other industrial projects is, *inter alia*, linked to the promoters bringing in their anticipated contribution towards the project cost as also the progress in the implementation of projects". SFCs

are required to disburse loans to all such industries which have fulfilled the stipulated conditions.

Every Member in this august House knows that SFCs are yet to disburse loans. What I want to know is whether the SFCs have disbursed the loans to those who have fulfilled the requirements. If the industries, even after fulfilling the requirements, are not getting the loans, I want to know how many industries are there who have yet to get the loans. This is part (a) of my question. Part (b) of my question is...*(interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, let him answer part (a). Otherwise, there will be a confusion.

डा० अबरार अहमद : महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ने जो कंडीशंस फुलफिल करने वाली बात कही है, जहां पर कंडीशंस फुलफिल होती है, वहां डिस्बर्समेंट में देरी नहीं होती है। डिस्बर्समेंट में वहां पर देरी होती है जहां पर कंडीशंस को फुलफिल करने में देरी होती है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, he has not given the correct answer. What I wanted to know is how many industries are still to get loans after having fulfilled the obligations stipulated by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is asking the figure of those industries who have fulfilled the requirements, the prerequisites, which you have put on them and yet not getting loans. There is a delay. He wanted to know how many of them are there. Do you have those figures?

डा० अबरार अहमद : यह आंकड़े मेरे पास नहीं है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Part (b) of my question is...*(interruptions)*.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: No part (b) is there. I am moving to the other Question.

SC/ST Members on CEGAT

*384. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of Central Appellate Tribunals that are under the direct control and supervision of the Ministry of Finance and what is the total number of judicial members amongst them all;

(b) what is the number of SC/ST judicial Members;

(c) whether it is a fact that the Customs Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal is under the direct control of the Finance Ministry and there is no SC/ST judicial Member in this Tribunal; and

so, what steps Government are taking to give representation to the SC/ST people; if not, what steps are proposed to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) There are two Central Appellate Tribunal viz. Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and Appellate Tribunal for Forfeited Property working under the direct control of Ministry of Finance. There are 11 posts of Judicial Member in CEGAT, of which 8 are filled up at present. No post of Member in ATFP is designated as Judicial Member. There is no SC/ST Judicial Member working in the aforesaid Tribunals.

(d) There are no reservations for members of SCs/STs in the matter of appointment to the posts of Judicial Member of CEGAT. Appointment to the post of Judicial Member is mainly done by transfer from members of the Higher Judicial Service and the Indian Legal Service. The element of direct recruitment in filling up these posts is confined to the category of practising Advocates. Special consideration will be given at the time of selection to the SC/ST candidates applying for these posts.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदया, यह हमारी सरकार रोजाना प्रचार करती है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति